संख्या–859 / 9–आ–1–01–24 आईडीएसएमटी / 94

प्रेषक,

टी0पी0 पाठक,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश

आवास अनुभाग–1 लखनऊः दिनाँक– 19 सितम्बर 2001

विषय : संगठित विकास योजनान्तर्गत उपलब्ध करायी गयी ऋण / अनुदान की धनराशि के रख–रखाव, आहरण एवं वितरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या : 2952ए / 9–आ–1–94, दिनांक 27.8.1994 को निरस्त करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संगठित विकास योजनान्तर्गत छोटे मध्यम आकार के नगरों के विकास हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश की स्वीकृति धनराशि रखने के लिए संयुक्त पृथक खाते अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत तथा सहयुक्त नियोजक, केन्द्रीय इकाई / सहायक नियोजक, स्थानीय इकाई / सहयुक्त नियोजक / सहायक नियोजक, संभागीय नियोजन खण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग जिनको नियोजक का कार्य सौंपा गया है, के नाम खोला जायेगा। उक्त खाते से धनराशि नागरिक समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की संस्तुति / जिलाधिकारी के अनुमोदन के पश्चात निकाली जायेगी ताकि उक्त योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशियों का अन्यत्र उपयोग करने अथवा दुरूपयोग करने की संभावना नही है।

अतः अपने जनपद से संबंधित नगरों के अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद / नगर पंचायत को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे भारत सरकार द्वारा माह जनवरी, 1993 में जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्त में उल्लिखित निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। उक्त खाते में संगठित विकास योजना हेतु अवमुक्त ऋण / अनुदान, परिसम्पत्तियों से प्रापत आय को जमा करना, सेन्टेज चार्जेज एवं ब्याज तथा अन्य समस्त भुगतान की अदायगी एवं अवशेष धनराशि का व्यय पुनर्विनियाजित योजनाओं में कराना सुनिश्चित करें। योजना के चयन एवं उसके पश्चात केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा धनराशि अवमुक्त किये जाने के समय जो शर्ते निर्धारित की जायें उसके अनुरूप खाते के लेखा–जोखा रखने की प्रक्रिया भी सुनिश्चत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
टी0पी0 पाठक
विशेष सचिव

संख्या – 859(1) / 9–आ–1–01 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0
2. सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 लखनऊ।
4. उप सचिव, शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली।
5. समस्त अध्यक्ष / अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत (संगठित विकास योजना के चयनित नगर)।
6 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
टी0पी0 पाठक
विशेष सचिव